शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय

बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विवरणिका

वर्ष 2021-22

Web site : govt.gsvcbodla.in

Email : collegebodla@gmail.com

प्राचार्य की कलम से....

प्राचार्य की कलम से...

प्रिय विद्यार्थियों एवं पालको !

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला की स्थापना सन् 2007 में की गई। इस महाविद्यालय में स्नातक के स्तर पर तीन संकायो में क्रमशः कला, विज्ञान वाणिज्य एवं स्नातकोत्तर (एम.ए.समाज शास्त्र) में अध्यापन होता है।

हेमचंद यादव विश्व विद्यालय रायपुर से संबंध यह महाविद्यालय राज्य शासन एवं जनभागीदारी समिति के द्वारा प्राप्त अनुदानों से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर एवं उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। अपनी विशिष्ट कार्य संस्कृति के बल पर हम अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।

महाविद्यालय की नवगठित सक्रिय जन-भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय श्रीमती शशि देवी खरे जी है, जिनके उत्साहवर्धक प्रयासों एवं सतत् सहयोग से यह महाविद्यालय समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने को प्रयासरत है।

हमारा उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र विकास के साथ विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करना है। राज्य शासन की प्रेरणा व मार्गदर्शन से समस्त महाविद्यालय परिवार, जनभागीदारी समिति एवं अन्य संस्थाओं के आपसी सामजस्य से शिक्षा, अनुसंधान एवं शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुये भारतीय संस्कृति एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए वचनबद्ध है।

प्रिय विद्यार्थियों! हम आप सबका नये सत्र में हार्दिक स्वागत करते है। हम आपको विश्वास दिलाते है कि आप इस संस्था के समबद्ध शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से उल्लासित एवं प्रभावित होंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

आर. के. पाठक
प्राचार्य

Core Values (कोर वेल्यूज)

- Unity and Intergrity — एकता व अखण्डता
- Love & Peace For Everyone. — सभी के लिये प्रेम तथा शांति
- Team Work & Shared Responsibility — सामूहिक भावना उत्तरदायित्वों की भागीदारी
- Mutual Respectand Transpararency. — आपसी आदर एवं पारदर्शिता

Goals & Objectives (लक्ष्य एवं उद्देश्य)

1. To, achieve the best possible standards in education, research and out reach programmes.
   शिक्षा, अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों में संभव गुणवत्ता प्राप्त करना।

2. To promote academic programmes relevant to socioeconmic needs of the nation.
   राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन

3. To promote networking with various centers/department and labs around the country
   राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं व प्रयोगशालाओं के साथ संबंध बनाये रखना।

4. To promote skill oriented programmes.
   विभिन्न क्षेत्रों में कुशलोन्मुखी कार्यक्रमों को विकसित करना।

5. To enhance the quality of learning and teaching process at U.G. level.
   स्नातक स्तर पर अध्ययन एवं अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाना।

6. To bring forword the inherent talents of students and encourage creativity.
   विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना तथा सीखने हेतु रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना।

7. To develop awareness towards social & enviromental problems.
   सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

- शैक्षणिक स्टाफ -

आर. के. पाठक (प्रभारी प्राचार्य)

क्र.	पदनाम	पद संख्या	कार्यरत का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	प्राचार्य	01	रिक्त	----
2.	प्राध्यापक			
	समाज शास्त्र	01	रिक्त	----
	वाणिज्य	01	रिक्त	----
3.	सहायक प्राध्यापक			
	1. राजनीति शास्त्र	01	श्री आर. के. पाठक	एम.ए.
	2. हिन्दी	01	रिक्त	-----
	3. भूगोल	01	रिक्त	-----
	4. अंग्रेजी	01	रिक्त	-----
	5. समाज शास्त्र	01	रिक्त	-----
	6. रसायन शास्त्र	01	रिक्त	-----
	7. वनस्पति शास्त्र	01	रिक्त	-----
	8. प्राणी शास्त्र	01	रिक्त	-----
	9. वाणिज्य	02	रिक्त	-----

- अशैक्षणिक स्टाफ -

क्र.	स्वीकृत पदनाम	पद संख्या	कार्यरत का नाम	रिमार्क
1.	सहायक वर्ग - 1	01	श्री आर. आर. भोसले	-----
2.	सहायक वर्ग - 2	01	रिक्त	-----
3.	सहायक वर्ग - 3	01	रिक्त	-----
4.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	श्री के. के. वर्मा श्री आर. के. साहू -------------	----- ----- (01 रिक्त)
5.	प्रयोगशाला परिचारक	03	श्री फलीत राम साहू	(02 रिक्त)
6.	भृत्य	03	श्रीमती राजकुमार साहू	-----
			श्री रविशंकर ध्रुव	-----

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ायें जाने वाले विषय संकाय वार

कला संकाय

बी.ए. भाग - 1 का पाठ्यक्रम

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा)
ब.	पर्यावरण अध्ययन	-	
स.	एच्छिक विषय	-	1. समाज शास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. भूगोल 4. हिन्दी साहित्य

बी.ए. भाग - 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा)
ब.	एच्छिक विषय	-	1. समाज शा. 2. राजनीति शा. 3. भूगोल 4. हिन्दी साहित्य

विज्ञान संकाय

बी.एस.सी. भाग - 1, 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा)
ब.	पर्यावरण अध्ययन	-	
स.	एच्छिक विषय	-	बायो समूह - 1. वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम. भाग - 1, 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा)
ब.	पर्यावरण अध्ययन	-	
स.	एच्छिक विषय	-	सभी अनिवार्य / प्रश्न पत्र

- स्नातकोत्तर -

एम. ए. समाज शास्त्र

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा)
		-	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए जो लागू हो।

महाविद्यालय के संकायवार उपलब्ध सीटों की सूची

क्र.	कक्षा	सीट संख्या
1	बी. ए.	200
2	बी.एस.सी.	150
3	बी.कॉम.	60
4	एम. ए. समाज शास्त्र प्रथम/अंतिम सेमेस्टर	30
5	एम.कॉम	30

प्रवेश शुल्क संबंधी विवरण

महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही छात्रों का प्रवेश मान्य होगा।

- शासकीय शुल्क -

1.	प्रवेश शुल्क 2+3	05.00
2.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00
3.	टी.सी. शुल्क	02.00
4.	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
5.	शिक्षण शुल्क (ओ.बी.सी., सामान्य)	115.00
6.	प्रयोग शाला शुल्क	20.00

- अशासकीय शुल्क -

1.	सम्मिलित निधि	32.00	32
2.	परिचय पत्र शुल्क	50.00	50
3.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	90.00	100 – 90200
4.	रेडक्रास शुल्क	25.00	40
5.	म. वि. विकास शुल्क	25.00	40 – 36080
6.	छात्र कल्याण शुल्क (निर्धन)	10.00	10
7.	चिकित्सा शुल्क	05.00	10
8.	छात्र कामन रूम शुल्क	25.00	25
9.	छात्र संघ/युवा गतिविधि	20.00	30
10.	अवधान राशि शुल्क	60.00	
11.	वाचनालय शुल्क	20.00	20
12.	क्रीडा शुल्क	25.00	35 – 31570
13.	आंतरिक परीक्षा शुल्क	50.00	70
14.	ग्रंथालय कार्ड शुल्क	05.00	10

टीप - अशासकीय शुल्क की राशि परिवर्तनीय है। छात्र-छात्राओं के हित में कुछ मद जोड़ कर राशि बढ़ाया जा सकता है।

- विश्वविद्यालयीन शुल्क -

1.	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
2.	वि.वि. छात्र कल्याण शुल्क	10.00
3.	वि.वि. ग्रंथालय शुल्क	20.00
4.	अप्रवजन शुल्क (अ.वि.वि.से आये छात्रों के लिए)	60.00
5.	नाम परिवर्तन शुल्क (विवाहोपरांत)	50.00
6.	वि.वि. युवा गतिविधी शुल्क	01.00

- जनभागीदारी शुल्क -

1.	विकास शुल्क	300.00

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग

महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

प्रवेश नियम - 2

कंडिका 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सूचना पटल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

कंडिका 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि :-

15 सितंबर तक प्राचार्य स्वयं तथा 30 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में समक्ष होगे (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से प्रारंभ होगा ।

कंडिका 2.3 पुनर्मूल्यांन में उत्तीर्ण छात्रो के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारण करना :-

पुनर्मूल्यांन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित वि.वि. के कुलपति के अनुमति के पश्चात महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।

कंडिका 4 प्रवेश सूची :-

कंडिका 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की आर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों के गुणांनुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सुचना पटल पर लगायी जावेगी। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा ।घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार विलम्ब शुल्क 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से जमा किया जावेगी ।

प्रवेश की पात्रता :-

छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छ.ग.में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य/केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी/अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी/राष्ट्रीय कृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है उनके पुत्र / पुत्रियां एवं जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी सीन रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं आर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। संबंद्ध विश्वविद्यालय या संबंद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से आर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी। आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जावेगा

कंडिका 5 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश :-

क/ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदको को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जावेगा।

ख/स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष की परीक्षार्थी को द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए उन्ही विषयों का चयन करना होगा जो प्रथम वर्ष में विषय चयनित था। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

बी.काम., बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.काम./एम. एस.सी. (गृह विज्ञान) एम.ए.पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

कंडिका 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :- किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय के उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रो/अधिकारियो कर्मचारियो के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / अधिकारियों कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने कें गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलिक्षित नही हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही देने के लिये प्रचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड फोड़ करने व महाविद्यालय के संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/ प्रवेश न देने के लिए प्रचार्य अधिकृत है ।

कंडिका 9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :- बंधन नहीं है।

कंडिका 12 छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगी:-

32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 14 प्रतिशत अन्य पिछडे वर्गो के लिए अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में आरक्षित रहेगी।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के पुत्र तथा पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर दोनो वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए सथान सुरक्षित है। समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा । आरक्षण के प्रावधन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

कंडिका 12.10 तृतीया लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में क्रमांक डब्ल्यू.पी(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॅरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - direct the Centre and the State Government to take Staps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational instution and for pulic appointments" का कड़ाई से पालन किया जाए ।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा अधिभार हेतु समसत प्रमाण - पत्र प्रवेश आवेदन - पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्रा सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :-

स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे ।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीया सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	05 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेस	
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रो के माध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेस एन.सी.सी. /एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं एवं प्रवास करने वाले कैडेस को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियो को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थीयों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनाय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्यक्त सीान प्राप्त करने वाले को	04प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तक्षेत्रिय राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा भारती विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रिय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग /क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:-

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत

(ख) प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वानी टीम के सदस्यो को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिध्त्वि करे वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रो के माध्य यूथ साईन्स एवं कल्वरल एक्सचंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.5 छततीसगढ़ शासन /म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छततीसगढ़ शासन /म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम , द्वितीय , तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रित को 01 प्रतिशत

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकरउनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नाताकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरा संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या पिलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनो तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थीयों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थि के समकक्ष या उससे अधिक हों ।

16 विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यो प्रशासकीय अथवा कार्यलयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्रचार्य को होगा ।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थि को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रचार्य को होगा ।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थि को प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थि द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थि को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शक की आवश्यकता होने पर प्रचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण /मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे प्रवेश संबंधित किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में उल्लेखित प्रवधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन /संशोधन /निरसर/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शिका नियम

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश -

(अ) महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं को निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र (विवरण पत्रिका में संलग्न) भरकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र में छात्र एवं पिता अथवा पालक के हस्ताक्षर अनिवार्य है। अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों सहित प्रस्तुत करें -

प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करते समय -

(1) विद्यालय/महाविद्यालय का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र प्रमाण प्त्र (सी.सी.)
(2) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की 2 सत्यापित छाया प्रति।
(3) जन्म प्रमाण पत्र (इस हेतु कोई हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची की 2 सत्यापित छाया प्रति)
(4) जाति प्रमाण पत्र
(5) निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
(6) माता-पिता के छ.ग. के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र ।
(7) अध्ययनक्रम में अंतराल होने पर प्रमाण-पत्र (गैप)
(8) विकलांग/निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
(9) प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल या विश्वविद्यालय का हो।

द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए -

(1) प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
(2) आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण पत्र (आय,जाति, निवास एवं 10 वीं सत्य प्रतिलिपि)
(3) प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति।

नोट : (1) प्रवेश शुल्क वांछित प्रमाण पत्रों सहित जमा होने पर ही संपन्न माना जावेगा।
(2) प्रवेश प्राप्त करते समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जमा करना होगा। द्वितीय प्रति अपरिहार्य परिस्थितियों में शपथ पत्र देने के उपरांत सम्यक जांच कर प्रवेश दिया जावेगा एवं ऐसे छात्रों को स्थान रिक्त रहने की स्थित्ति में प्रवेश दिया जायेगा।
(3) किसी भी छात्र को प्रवेश की सूचना घर नही भेजी जायेगी। प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य होगा।
(4) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को जो इसी महाविद्यालय के है उन्हें केवल आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

परिचय पत्र -

- महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश संपन्न होने के उपरांत उसे एक परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा। महाविद्यालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पुराने छात्र अपना परिचय पत्र जमा करके नया परिचय पत्र प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक महाविद्यालय दिवस में परिचय पत्र होना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण-संहिता

सामान्य निमय -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मित्व्ययों जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है।
   असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आंतक फेलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपना मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा सीापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दंड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचनण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय - सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिए विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबंद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबंद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिए लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिए यह परिनियम प्रचलन में नही होगा।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा।

अ. शारीरिक आद्यात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दंड देना।

ब. मानसिक आद्याात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, पीटना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना।

स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किया जायेंगे। इस हेतु प्राक्टोरियल द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्राक्टर कहलायेंगें
5. प्राक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।

6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा।

(क) महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिए निष्कासन।

(ख) राज्य के किसी भी महाविद्यालय या / विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।

(ग) दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबंधित होगा।

(घ). महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को वृस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे। और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नही होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।

(ड़) कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही की प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नही कर सकेगा।

(च) यदि रैगिंग का कृत्य किसी भी पूर्व छात्र अथवा छात्राा द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

★–★–★–★–★

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षक संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा-4 के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

3. ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकर के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नही दिया जावेगा।

रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/445/21-अ (प्रारूपण) 2002 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं को प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र. 27 सन् 2001) का अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छततीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.सी. युद. अतिरिक्त - सचिव

कार्यालय–प्राचार्य, शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला, जिला–कबीरधाम (छ.ग) सत्र 2025–26

क0	कक्षा	शास.शुल्क	अशा.शुल्क	ज.भा.शुल्क	योग
B.A./B.Sc./ B.Com. I					
1	बी.ए./बी.काम. भाग एक सामान्य/अपिव. छात्र	125	803	400	1328
2	बी.ए./बी.काम. भाग एक अ.जा./अजजा./छात्रा	10	803	400	1213
3	बी.एससी./बी.ए. भाग एक भूगोल–अपिव./सामान्य छात्र	145	803	400	1348
4	बी.एससी./बी.ए. भाग एक भूगोल – अ.जा./अजजा./छात्रा	30	803	400	1233
B.A./B.Sc./ B.Com. II & III					
5	बी.ए./बी.काम. भाग दो एवं तीन सामान्य/अपिव. छात्र	125	743	400	1268
6	बी.ए./बी.काम. भाग दो एवं तीन अ.जा./अजजा./छात्रा	10	743	400	1153
7	बी.एससी./बी.ए. भाग दो एवं तीन भूगोल–अपिव./सामान्य छात्र	145	743	400	1288
8	बी.एससी./बी.ए. भाग दो एवं तीन भूगोल – अ.जा./अजजा./छात्रा	30	743	400	1173
M.A. I & III Sem.					
9	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर अपिव./सामान्य छात्र	125	843	400	1368
10	एम.ए. तृतीय सेमेस्टर अ.जा./अजजा./छात्रा	10	843	400	1253
M.Com. I & III Sem.					
11	काम. तृतीय सेमेस्टर अपिव./सामान्य छात्र	125	843	400	1368
12	एम.काम. तृतीय सेमेस्टर अपिव./सामान्य छात्रा	10	843	400	1253

टीप – 1. अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण के साथ 60/– अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।

2. विवाह उपरान्त प्रवेश लेने पर छात्राओं 50/– अतिरिक्त शुल्क के साथ शपथ पत्र

प्राचार्य.